121

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

R-2578-I/2012

प्र.क्रं. /2012 पुनरीक्षण

मुकट सिंह पुत्र बलवन्त सिंह
निवासी ग्राम आलमपुरा तह. मेहगांव
जिला भिण्ड (म.प्र.)

...... आवेदक

श्री मुकेश भार्गव, अभि० द्वारा आज दि. 17-8-12 को प्रस्तुत 17-8-12 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. खिलोनी बाई बेवा बुद सिंह
निवासी ग्राम सूरजपुरा तहसील मेहगांव
2. यशपाल सिंह पुत्र श्री चरन सिंह
3. शिशुपाल सिंह पुत्र श्री चरन सिंह
निवासीगण शिव कॉलोनी पिन्टो पार्क
मुरार ग्वालियर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

मुकेश भार्गव
17-8-12 एडवोकेट
ग्वालियर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, मेहगांव द्वारा प्र.कं. 01/2010–11 अपील में पारित आदेश पत्रिका दिनांक 7.8.12 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यहकि, मौजा आलमपुरा तहसील मेहगांव में स्थित बंदोवस्त के पूर्व आराजीकं. 219 रकवा 0.711 हे. बंदोवस्त के पश्चात नया आराजी क्रं. 261 रकवा 0.61 हे.का पूर्व भूमिस्वामी राजाराम पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम अजनौधा तह. मेहगांव थे। लेकिन वादग्रस्त भूमि आवेदक को मौखिक पटटे पर लगान अदा करने की शर्त पर दी थी उक्त भूमि पर आवेदक ही काबिज होकर कृषि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2578–एक / 12 जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–6–16	आवेदक मुकट सिंह अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव सहित उपस्थित । अनावेदकों की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित तथा अनावेदक कमांक 2 यशपाल स्वयं उपस्थित । 2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत निगरानी को गुणदोषों पर निराकरण किए बिना इसी स्तर पर निरस्त किया जाये । अनावेदक अधिवक्ता को कोई आपत्ति नही है । विचारोपरांत उनका अनुरोध स्वीकार करते हुए यह निगरानी समाप्त की जाती है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । अभिलेख वापिस हो । सदस्य	